बिना लाइसेंस नहीं चलेंगी नावें

चांडिल व सतनाला डैम

- डीटीओ ने संचालन समितियों को दी 20 दिनों की मोहलत
- अनट्रेंड चालकों पर लगेगी रोक, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस किया गया अनिवार्य

प्रतिनिधि, चांडिल/आदित्यपुर



बैठक में शामिल डीटीओ व संचालन समिति के सदस्य.

चांडिल और सतनाला डैम में नौका विहार का आनंद लेने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर जिला परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. विभाग ने चांडिल डैम नौका विहार संचालन समिति और सतनाला डैम संचालन समिति को 20 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी नावों का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाने पर डैम में नौका विहार का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाली नावों को जब्त करने के साथ-साथ संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

17 नावों के निबंधन व चालकों के लाइसेंस का निर्देश : सरायकेला-खरसावां के जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) शंकराचार्य सामड़ ने दोनों संचालन समितियों के सदस्यों के साथ बैठक कर निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि अब बिना रजिस्ट्रेशन के डैम में एक भी नाव संचालित नहीं होगी और प्रत्येक चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. डीटीओ ने जानकारी दी कि वर्तमान में चांडिल डैम में 15 और सतनाला डैम में दो नावें चल रही हैं. इन सभी 17 नावों का 20 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित किया जाए.

फिटनेस जांच और लाइफ जैकेट के बिना प्रवेश पर रोक

डीटीओ ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान नावों की फिटनेस और यात्री क्षमता की जांच की जाएगी. प्रत्येक नाव में लाइफ जैकेट, रस्सी, टॉर्च समेत अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण रखना अनिवार्य होगा. बिना लाइफ जैकेट पहनाये किसी भी पर्यटक को नाव में बैठाने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही चालकों को आपातकालीन बचाव के उपायों और संचालन नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि अनट्रेंड चालकों पर रोक लग सके और संभावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके.

कचरों के निपटारे के लिए होगा आंदोलन, बनेगी रणनीति

आदित्यपुर. नगर निगम अपनी लचर व्यवस्था को लेकर सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा व आदित्यपुर अधिवक्ता संघ के निशाने पर है. मोर्चा व संघ कचरों के निपटारे, जलापूर्ति व सीवरेज की समस्या को लेकर आंदोलन की रणनीति बनायेंगे. इसके लिए दोनों संस्थाओं के सदस्यों की संयुक्त बैठक रविवार को सुबह 11 बजे पथ संख्या 32 स्थित कार्यालय में होगी. यह जानकारी देते हुए मोर्चा व संघ के अध्यक्ष क्रमशः ओम प्रकाश व दीपेंद्र नाथ ओझा ने सभी सदस्यों से बैठक में आ कर अपने विचार रखने की अपील की है.

एनआइटी के शोधार्थी को मिला यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड



कार्यक्रम में शामिल अतिथि व शोधार्थी.

आदित्यपुर. एनआइटी जमशेदपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स के संचार अभियांत्रिकी विभाग के शोधार्थी व एचइएफए सीएसआर परियोजना में प्रोजेक्ट असिस्टेंट राजकुमार मंडल को प्रतिष्ठित सतवें यूआरएसआइ रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेडियो साइंस में यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. यह सम्मेलन शुक्रवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म नबी मुंबई में हुआ. यह पुरस्कार उनके शोध पत्र कम्परेटिव एनेलाइसिस ऑफ जीएनएसएस पीपीके पोजिशनिंग एकुरेसी इन ओपन एंड केनोपी अग्रीक्लचरल फील्ड के लिए मिला. यह शोध कार्य हाइयर एजुकेशन फायनांसिंग एजेंसी द्वारा वित्तपोषित है, जो केनरा बैंक व भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम है. यह शोध प्रिसिजन एग्रीकल्चर, कृषि सर्वेक्षण, फसल निगरानी व चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में सटीक लोकेशन आधारित तकनीकों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा. शोधार्थी के मार्गदर्शक व परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉ सूरजित कुंडू ने अपनी प्रयोगशाला के सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की.

सिटी बाइट्स

कन्या के विवाह में किया आर्थिक सहयोग



आदित्यपुर. सामाजिक संस्था शनिदेव भक्त मंडली ने बागेबस्ती (कदमा) निवासी सोमवारी लोहार के विवाह में सहयोग करते हुए उसके घर जाकर 24,800 रुपये के फर्नीचर प्रदान किया. इस अवसर पर मंडली के सतीश चाचरा, मंटू सिंह मोदक, आयुष्मान गर्ग, मानिक गोराई, जसपाल सिंह, लक्खी लोहार, ज्योत्सना लोहार आदि उपस्थित थे. सोमवारी का विवाह 21 नवंबर को जायदा मंदिर (चांडिल) में होगा.

खराब मौसम के कारण शिविर में पहुंचे कम लोग

आदित्यपुर. चक्रवाती तूफान के कारण शुक्रवार को दिनभर हो रही वर्षा के कारण झारखंड बिजली वितरण निगम लि जन समस्या निवारण शिविर में बहुत ही कम लोग पहुंचे. यह शिविर 26 नवंबर तक विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल आदित्यपुर कार्यालय परिसर में लगेगा. शिविर में बिजली से संबंधित जन समस्याओं निवारण किया जा रहा है. इसमें नया कनेक्शन, बिजली बिल में सुधार, बिल नहीं मिलने, बिल में मोबाइल नंबर अपडेट करने, ट्रांसफार्मर खराब होने, लो वोल्टेज होने, पोल या तार की आवश्यकता या बिजली से संबंधित कोई अन्य मामले का निष्पादन किया जा रहा है.

केंद्रों में मना स्वच्छ एवं स्वस्थ आंगनबाड़ी दिवस

गम्हरिया. शुक्रवार को विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ एवं स्वस्थ आंगनबाड़ी दिवस मनाया गया. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया. इस दौरान परिसर की साफ-सफाई, हाथ धुलाई का प्रदर्शन, रंगोली निर्माण एवं स्वच्छता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं. साथ ही जिला एवं प्रखंड स्तर पर स्वच्छता निरीक्षण कर सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आंगनवाड़ी केंद्र का चयन किया गया. कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया गया.

खंभों से लटके तारों का होगा सर्वे



खंभों से लटके फाइबर के तार.

आदित्यपुर. झारखंड बिजली वितरण निगम लि मुख्यालय के निर्देशानुसार आदित्यपुर में भी बिजली के खंभों से लटके इंटरनेट के ऑप्टिकल फाइबर केबुल व अन्य केबुल एवं तारों का सर्वे किया जायेगा. विभाग के एसडीओ दिलेश्वर महतो ने बताया कि यह पूरे झारखंड में होना है. विदित हो कि हाल के दिनों में विभाग ने रांची में कड़ी कार्रवाई करते हुए उक्त केबुल को कटवाकर हटाना शुरू कर दिया था, जिससे पूरे क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्शन की समस्या उठ खड़ी हुई थी. इसके बाद हाइकोर्ट ने इस मामले में निर्देश दिया था कि उक्त कार्रवाई की पूर्व सूचना देते हुए नियमानुसार व्यवस्थित रूप से कार्रवाई की जाय.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), कल्याणी
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS), KALYANI
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक सांविधिक निकाय)
(A Statutory Body under the Aegis of Ministry of Health and Family Welfare, GOI)
राष्ट्रीय राजमार्ग-34, बसन्तपुर, सागूना, कल्याणी, ज़िला-नदिया, पश्चिम बंगाल-741245
NH-34 Connector, Basantapur, Saguna, Kalyani, District Nadia, West Bengal -741245

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), कल्याणी में सहायक प्राध्यापक (संविदा) के पद पर नियुक्ति हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), कल्याणी में निम्नलिखित पद पर पूर्णतः संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 27.11.2026 को प्रत्यक्ष साक्षात्कार के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या
1	एनेस्थीसिया	सहायक प्राध्यापक (संविदात्मक)	अनारक्षित–1

विस्तृत विज्ञापन, पात्रता मानदंड, प्रत्यक्ष साक्षात्कार का कार्यक्रम, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य नियम एवं शर्तें संस्थान की वेबसाइट https://www.aiimskalyani.edu.in पर उपलब्ध हैं।

कार्यपालक निदेशक के आदेशानुसार
स्वा/-
प्रशासनिक अधिकारी
एम्स, कल्याणी

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank ...the name you can BANK upon!
ARMB राँची (पता: एस. एन. गांगुली रोड, राधेश्याम लेन, रांची, जिला – राँची, झारखंड – 834001 | फोन: 7300705205, ई–मेल: cs6794@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (पर्वतन) नियम 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठित तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना.

एतद् द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को एवं विशेष रूप से उधारकर्त्ताओं एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक / भौतिक / सांकेतिक जो भी लागू हो जिसका कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूति लेनदार द्वारा लिया गया है। संबंधित उधारकर्त्ताओं एवं जमानतदारों से बैंक / सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये गये सूची में उल्लिखित तिथि पर **''जहाँ है'', ''जैसा भी है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित सम्पत्तियों के सामने नीचे दिये गये सूची में उल्लिखित है।

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / उधारकर्ता / जमानतदारों के खाता का नाम एवं पता	बंधक / स्वामी के नाम के अचल सम्पत्तियों का विवरण [बंधककर्ता की सम्पत्ति (यों)]	A) 13(2) सरफेसी अधिनियम के तहत मांग सूचना की तिथि B) मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि C) कब्जा की तिथि 13(4) सरफेसी अधिनियम 2002 के अनुसार D) कब्जा का प्रकार सांकेतिक / भौतिक / रचनात्मक	A) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) B) इएमडी राशि C) बोली वृद्धि राशि D) Baanknet सम्पत्ति आईडी	ई–नीलामी की तिथि एवं समय
1.	**शाखा कार्यालय: PNB सिंह मोड़, रांची** (216810) **मेसर्स लालजी ज्योति प्रा. लि.** **मेसर्स लालजी ज्योति प्रा. लि.** ज्योति कुंज, हजाम, नामकुम, थाना–नामकुम, रांची, राज्य–झारखण्ड, पिन–835221 **श्री लालजी प्रसाद** (अब दिवंगत), पुत्र श्री हरि प्रसाद एवं **श्रीमती ज्योति देवी** पत्नी श्री लालजी प्रसाद, फ्लैट संख्या 8–बी, आठवां तल्ला, रामसखी टावर, तुपुदाना रोड, हटिया – 834003	बहुमंजिला आवासीय भवन, जिसका नाम ''रामसखी टावर'' के आठवें तल पर स्थित फ्लैट संख्या 8बी, जिसका सुपर बिल्ट–अप क्षेत्रफल 1290 वर्गफीट है जिसका सभी अंश एवं भाग, जो खाता संख्या 63, प्लॉट संख्या 623, कुल क्षेत्रफल 75.97 डिसिमल भूमि पर निर्मित है तथा मौजा तुपुदाना, थाना राँची, वर्तमान थाना जगन्नाथपुर, थाना संख्या 267, वार्ड संख्या 55, जिला – राँची में स्थित है। उक्त फ्लैट के साथ 435.6 वर्गफीट भूमि में अविभाजित आनुपातीय हिस्सा तथा बेसमेंट में एक कार पार्किंग स्थल भी शामिल है। साथ ही, सामान्य रास्ता, लॉबी, सीढ़ी, लिफ्ट, जनरेटर, कंपाउंड परिसर एवं छत का सामूहिक उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकार भी प्राप्त है। उक्त संपत्ति का सेल डीड संख्या 4258/5122 दिनांक 27.07.2015 के अंतर्गत श्री लालजी प्रसाद (अब दिवंगत), पिता श्री हरि प्रसाद एवं श्रीमती ज्योति देवी, पत्नी श्री लालजी प्रसाद के नाम से है। **उक्त सम्पत्ति का चौहद्दी निम्न प्रकार है: उत्तर** – सीढ़ी एवं कॉरिडोर, **दक्षिण** – खुला आकाश, **पूरब** – डक्ट एवं लिफ्ट, **पश्चिम** – खुला आकाश.	A) 03.02.2025 B) Rs. 70,49,367.81 + अतिरिक्त ब्याज C) 09.09.2025 D) भौतिक कब्जा	A) Rs. 42,78,500.00 B) Rs. 4,27,850.00 C) Rs. 1,00,000.00	03.12.2026 from 11:00 AM to 04:00 PM
2.	**शाखा कार्यालय: PNB मोराबादी** (038820) **श्रीमती गणिता झा** पत्नी थानेश्वर झा **एवं थानेश्वर झा** पुत्र सुशील कुमार झा **श्रीमती गणिता झा** पत्नी थानेश्वर झा **एवं थानेश्वर झा** पुत्र सुशील कुमार झा निवासी – ज्योति इन्क्लेव, फ्लैट संख्या ए4, सुखदेवनगर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, सुखदेव नगर, पो.–हेहल, रांची – 834005	राँची नगर निगम, राँची के वार्ड संख्या 02 के अंतर्गत नगरपालिका होल्डिंग संख्या 00200061500000Y1 से संबंधित, मौजा – भेठा, एदलहातु, थाना संख्या 187, थाना – बरियातू, जिला – राँची में स्थित भूमि का सभी अंश एवं भाग जिसका आर. एस. प्लॉट संख्या 662, खाता संख्या 57 के अंतर्गत है जिसका कुल क्षेत्रफल 5 कट्ठा 08 छटाक है, के एक भाग पर निर्मित ''कमला एन्क्लेव'' नामक आवासीय परिसर के प्रथम तल पर स्थित फ्लैट संख्या 102, जिसका क्षेत्रफल 1258 वर्गफीट है। उक्त फ्लैट के साथ कुल भूमि में 1.44 डिसिमल का आनुपातिक, अविभाजित एवं अविभाज्य हिस्सा तथा भूतल पर स्थित कार पार्किंग संख्या 102 भी सम्मिलित है। उक्त फ्लैट तीन शयनकक्षों वाला आवासीय फ्लैट है जिसका सेल डीड संख्या 888/950 दिनांक 10.05.2019 है जो श्रीमती गणिता झा, पत्नी श्री थानेश्वर झा एवं श्री थानेश्वर झा, पिता श्री सुशील कुमार झा के नाम से है। **उक्त सम्पत्ति का चौहद्दी निम्न प्रकार है: उत्तर** – सीढ़ी, लॉबी एवं फ्लैट संख्या 101, **दक्षिण** – साइड सेट बैक, **पूरब** – पीछे का सेट बैक, **पश्चिम** – आगे का सेट बैक.	A) 20.08.2022 B) Rs. 40,47,637.56 + अतिरिक्त ब्याज C) 02.05.2026 D) भौतिक कब्जा	A) Rs. 33,82,020.00 B) Rs. 3,38,202.00 C) Rs. 50,000.00 D) PUNB6794032023	03.12.2026 from 11:00 AM to 04:00 PM

प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात भार का विवरण – बैंक को ज्ञात नहीं

ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें:

बिक्री सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।
01. सम्पत्तियों को **''जहाँ है'', ''जैसा भी है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जा रहा है।
02. अनुसूचि में निर्देशित सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवादेही नहीं होगा।
03. बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा **दिनांक 03.12.2026 को सुबह 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की जाएगी।**
04. उपरोक्त उल्लिखित बयाना राशि (EMD) को PSB Alliance Private Limited के E-Wallet में **(https://baanknet.com)** पोर्टल के माध्यम से सीधे जमा किया जाएगा अथवा उसी पोर्टल पर चालान (Challan) उत्पन्न कर, उसमें दिए गए खाते के विवरण के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से EMD जमा किया जाएगा। यह राशि **दिनांक 02.12.2026 को 16:00 बजे से पूर्व** अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए।
05. बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnbindia.in** पर देखें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

दिनांक: 18.11.2026, स्थान: रांची — **नोट: त्रुटि / विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।** — **ह0/– प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूति दाता**

DAMRO
Internationally Trusted Furniture
WEDDING
Season Special
OFFERS

Cyprus Bedroom Set (Bed + 4D Wardrobe + Dresser) Now ₹1,17,000 EMI ₹4,592


Carvin Bedroom Set (Bed + 3D Wardrobe + Dresser) Now ₹92,000 EMI ₹3,611


Bedroom Set (Bed + Wardrobe + Dresser+ Night Stand) Now ₹41,900 Onwards


Recliner Sofa Set (3 + 1R + 1R) Now ₹73,000 Onwards


Sofa Set (3 + 2 Seater) Now ₹29,900 Onwards


6 Seater Wooden Dining Table Set Now ₹39,900 Onwards

RANCHI - Garikhana Chowk, Opp. Shakti Petrol Pump, Harmu Road. **Tel: 9153882122.**
JAMSHEDPUR - S Type Chowk, Opp. Football Ground, Tata Kandra Main Road, Adityapur. **Tel: 9153882121.**
Shop Online - **www.damroindia.com**
Toll Free **1800 425 1122**
Dealership Enquiries **83369 90458**
Sales Support **salesupport@damroindia.com**
*Conditions Apply
FREE DELIVERY · FREE ASSEMBLY · ASSURED WARRANTY · EASY EMI OPTIONS
BAJAJ FINANCE · HDFC BANK 5% CASH BACK · pine labs PAY LATER